न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 116/2019 **(RCMS No. 2019/00203)**

वादी

1. परमाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरीदेवी पत्नी रामलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
2. राजूराम पुत्र रामलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
3. रामचन्द्र पुत्र रामलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
4. प्रभुराम पुत्र रामलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
5. मोहनराम पुत्र रामलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिंटी
6. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
7. गोपाललाल पुत्र नाथूलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
8. लालीदेवी पत्नी ज्ञानाराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
9. मुन्नीदेवी पत्नी बालूराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
10. रामूराम पुत्र देबूराम जाति जाट निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी
11. भागूराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी भूणी तहसील नावां तहसील नावां जिला नागौर
12. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील कुचामनसिटी

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 53,88 R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 30.10.2019

प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1657 रकबा 2.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 2621/1657 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2622/1657 रकबा 0.02 हैक्टर कुल रकबा 2.55 हैक्टर स्थित है जिसमें वादी के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा वादी अपनी उक्त खातेदारी सुदा कब्जासुदा भूमि रकबा 0.12 हैक्टर पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज है, काश्त करता आ रहा है तथा शेष भूमि रकबा 0.61 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 तथा भूमि रकबा 0.4250 हैक्टर प्रतिवादी सं. 5 व 6 तथा भूमि रकबा 1.237845 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 7 तथा भूमि रकबा 371.55वर्ग मीटर प्रतिवादी सं. 8 व 9 तथा भूमि रकबा 0.3236 हैक्टर पर प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2...

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सं. 10 तथा भूमि रकबा 0.12 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 11 काबिज है, वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सुविधा अनुसार मौके पर भौतिक बंटवारा कर रखा है लेकिन राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज चली आ रही है, मौके पर खसरा नम्बर 1657 की भूमि में वादी की भूमि रकबा 0.12 हैक्टर कब्जासुदा, खातेदारी सुदा भूमि स्थित है जिसका विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस भू–विभाजन नही हो रखा है, बल्कि उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती सह खातेदारी की चली आ रही है, उपरोक्त खसरा नम्बर 1657 की भूमि से वादी अपने हक हिस्से की 0.12 हैक्टर भूमि बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस भू–विभाजन कराकर सेपरेट होल्डिंग कराना चाहता है, वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का नजरी नक्शा इस वाद के संलग्न प्रस्तुत किया गया है जिसमें मार्क A, B, C, D, से दर्शाया गया है, जिससे बंटवारा को लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नही हो इसलिये यह भू–विभाजन का वाद लाना आवश्यक हुआ है, वादी उक्त भूमि में से अपने हिस्से की अलग स्पष्ट खातेदारी दर्ज करवाकर भू–विभाजन कराने का अधिकारी है जिसका वह हकदार है इसलिये यह स्पष्ट खातेदारी अधिकारो की घोषणा व भू–विभाजन का वाद लाना आवश्यक हुआ हैं, बिनाया दावा पटवारी हल्का को बंटवारा बाबत कहा तो उन्होने सभी सहखातेदारो की सहमति चाही तो प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया तो कुछ तो आश्वासन देते रहे और कुछ ने साफ इन्कार करने पर बमुकाम कुचामनसिटी में पैदा हुआ। वादी की इस्तदुआ है कि कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1657 रकबा 2.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 2621/1657 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2622/1657 रकबा 0.02 हैक्टर कुल रकबा 2.55 हैक्टर में से 0.12 हैक्टर भूमि का वादी काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की स्पष्ट खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावे, उक्त खसरा नम्बर 1657 की भूमि में से रकबा 0.12 हैक्टर भूमि का बाद नाप चौक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस भू–विभाजन करके सेपरेट होल्डिंग कायम किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम कराने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावे, अन्य अनुतोष जो भी वादी के हक में है वादी को प्रदान करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी वकील द्वारा चालू जमाबन्दी नकल एवं नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में वादी द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, जिन्होने कथन किया है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1657 में स्थित रकबा 0.12 हैक्टर का प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा अनुसार सेपरेट खातेदारी दर्ज की जावे तथा बंटवारी स्कीम मंगाई जाने के स्थान पर संलग्न नजरी नक्शे अनुसार ही वादी की खातेदारी की घोषणा कर तहसीलदार कुचामनसिटी को नक्शे में तरमीम किये जाने एवं सेपरेट खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे। जमाबन्दी नकल सम्वत 2070–73 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1657 रकबा 2.52 हैक्टर चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 2621/1657 रकबा 0.01 हैक्टर गै. मु.कुँआ, खसरा नम्बर 2622/1657 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी कुल रकबा 2.55 हैक्टर में भंवरीदेवी पत्नि रामलाल राजूराम रामचन्द्र प्रभुराम पि. रामलाल हि. 0.61 हैक्टर गीतादेवी पत्नी गिरधारीलाल संतोष देवी पत्नी किशनलाल ब.हि.ब. हिस्सा 0.24 हैक्टर मोहनराम औमप्रकाश पि. रामलाल हिस्सा 0.4250 हैक्टर गोपाललाल पुत्र नाथूलाल 1. 237845 हैक्टर लालीदेवी पत्नी ज्ञानाराम मुन्नीदेवी पत्नी बालूराम 371.55 वर्ग मीटर जाति कुमावत सा. देह खातेदार नामा. सं. 4574 दिनॉक 09.10.2014 बेचान से गीतादेवी पत्नी गिरधारीराम जाति कुमावत सा. दे हके सम्पूर्ण हिस्सा 0.12 हैक्टर के स्थान पर परमाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट सा. दीपपुरा खातेदार का नाम दर्ज किया गया, नामान्तरकरण सं. 4893 दि. 07.12.2017 (बेचान से) गोपाललाल पुत्र नाथूलाल 1.237845 हैक्टर में से बेचान रकने पर रफीक खान प अब्दुल हक खान जहीर अब्बास पुत्र शाहिद खान जाति कायमखानी हिस्सा 0.3236 हैक्टर स्वीकृत हुआ, नामा. सं. 4894 दिनॉक 7.12.2017 बेचान से रफीक खान प अब्दुल हक खान जहीर अब्बास पुत्र शाहिद खान जाति कायमखानी हिस्सा 0.3236 हैक्टर के स्थान पर रामूराम पुत्र देबूराम जाति जाट सा. दीपपुरा सा. देह खातेदार, नामा. सं. 4904 दि. 10.1.2018 बेचान से संतोषदेवी पत्नी किशनलाल 0.12 हैक्टर के स्थान पर उषादेवी पत्नी हरीप्रसाद जाति अग्रवाल सा. देह खातेदार दर्ज , नामा. सं. 4905 दिनॉक 19.01.2018 बेचान से उषादेवी पत्नी हरीप्रसाद जाति अग्रवाल के

....4.....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्थान पर भागूराम पुत्र बन्नाराम जाति जाट हिस्सा 0.12 हैक्टर सा. भूणी तहसील नावां खातेदार स्वीकृत शेष खाता बदस्तूर। नकल अपना खाता जमाबंदी सम्वत 2074–2077 ग्राम कुचामनसिटी निम्न अनुसार खातेदार दर्ज है :–

नाम ग्राम	खाता सं.	ख.नं.	रकबा	काश्तकार का नाम दर्ज हक हिस्सा
कुचामन सिटी	593	1657	2.52 चाही 2	1.औमप्रकाश पुत्र रामलाल हिस्सा–1/12 कुमावत सा. देह खातेदार
		2621 1657	0.01गै.मु कुआ	2.गोपाललाल पुत्र नाथूलाल हिस्सा–4571/12750 कुमावत सा. देह खातेदार
		2621 1657	0.02 गै. मु.ढ़ाणी	3. प्रभुराम पुत्र रामलाल हिस्सा–61/1020 कुम्हार सा. देह खातेदार
				4. परमाराम पुत्र रतनाराम हिस्सा –4/85 जाट सा. दीपपुरा खातेदार
				5. भंवरीदेवी पत्नी रामलाल हिस्सा–61/1020 कुम्हार सा. देह खातेदार
				6. भागूराम पुत्र बनाराम हिस्सा– 4/85 जाट सा. भूणी तहसील नावां खातेदार
				7 मुन्नीदेवी पत्नी बालूराम हिस्सा – 31/4250 जाति कुमावत सा. देह खातेदार
				8. मोहनराम पुत्र रामलाल हिस्सा–1/12 जाति कुमावत सा. देह खातेदार
				9. राजूराम पुत्र रामलाल हिस्सा– 61/1020 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
				10.रामचन्द्र पुत्र रामलाल हिस्सा –61/1020 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
				11.रामुराम पुत्र देबूराम हिस्सा 809/6375 जाति जाट सा. दीपपुरा खातेदार
				12.लालीदेवी पत्नी ज्ञानाराम हिस्सा –31/4250 जाति कुमावत सा. देह खातेदार

उपरोक्त भूमि में वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार भूमि का बंटवारा चाहा गया है, जिसके लिए प्रतिवादीगण का बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से स्पष्ट है कि वादी का संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे की भूमि रकबा 0.12 हैक्टर पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के शपथ–पत्र से भी वादी का उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त साबित है इस प्रकार वाद वादी काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1657 रकबा 2.52 हैक्टर चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 2621/1657 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुंआ, खसरा नम्बर 2622/1657 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी कुल रकबा 2.55 हैक्टर में प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 1657 रकबा 2.52 हैक्टर में 0.12 हैक्टर का वादी परमाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी दीपपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खसरान में से वादी का नाम हटाया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 30.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 116 / 2019 **(RCMS No. 2019/00203)**

वादी

1. परमाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरीदेवी पत्नी रामलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
2. राजूराम पुत्र रामलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
3. रामचन्द्र पुत्र रामलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
4. प्रभुराम पुत्र रामलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
5. मोहनराम पुत्र रामलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
6. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
7. गोपाललाल पुत्र नाथूलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
8. लालीदेवी पत्नी ज्ञानाराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
9. मुन्नीदेवी पत्नी बालूराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
10. रामूराम पुत्र देबूराम जाति जाट निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी
11. भागूराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी भूणी तहसील नावां तहसील नावां जिला नागौर
12. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील कुचामनसिटी

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 53,88 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता **है ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1657 रकबा 2.52 हैक्टर चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 2621 / 1657 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुँआ, खसरा नम्बर 2622 / 1657 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी कुल रकबा 2.55 हैक्टर में प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 1657 रकबा 2.52 हैक्टर में 0.12 हैक्टर का वादी परमाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी दीपपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खसरान में से वादी का नाम हटाया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 10 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी

वादी बनाम प्रतिवादी

परमाराम भंवरीदेवी वगै.

वाद - बाबत अतिक्रमण

नजरी नक्शा

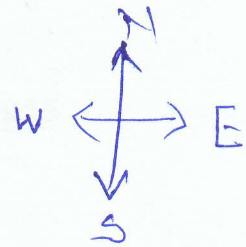

निर्णय तिथि - 30.10.19

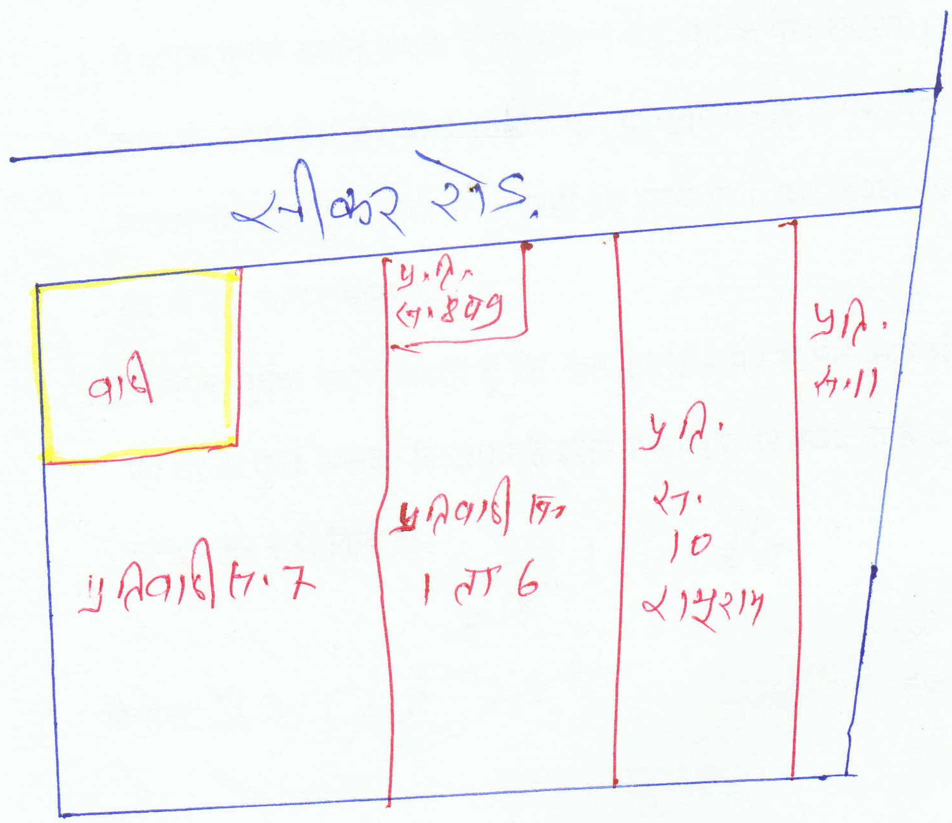

परमाराम